अति-महत्वपूर्ण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,जनपद इलाहाबाद।
पुलिस अधीक्षक,कौशाम्बी/फतेहपुर/प्रतापगढ़।

कृपया श्री संजय प्रसाद, सचिव, उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-15 उ0प्र0 के पत्र संख्या 267/छः-पु0-15-2014 दिनांकित 11.06.2014 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जो महिलाओं का उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक निर्देशों का पालन किये जाने विषयक है।

अतएव उपर्युक्त विषयक संलग्न शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर समस्त अधीनस्थों को अवगत कराते हुए निर्देशों का शत-प्रतिशत अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

12/6

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक
इलाहाबाद परिक्षेत्र,इलाहाबाद

अशा0पत्रांक-सीओए/आर-निर्देश(शासन)/2014
दिनांक-इलाहाबादः जून 12,2014

शीर्ष प्राथमिकता / फैक्स / ई–मेल
संख्याः–267 / छः–पु0–15–2014

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 **लखनऊः दिनांक || जून, 2014**

विषयः–महिलाओं का उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की गरिमा बनाये रखने तथा उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिये कटिबद्व है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम देने वालो के खिलाफ फौरी तौर पर कड़ी कार्यवाही की जाय। इस विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। कृपया पूर्व में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

(1) महिला उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–827 / छः–पु0–15–2009–2म0उ0 / 09, दिनांक 10 जुलाई, 2009
(2) महिला तथा बच्चियों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–623 / 6–पु0–15–2011, दिनांक 29 जून, 2011
(3) महिला उत्पीड़न करने वालों का चिन्हांकन तथा उनके विरूद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–97 / 6–पु0–15 –2013, दिनांक 06 मार्च, 2013

(4) नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–265/6–पु0–15–2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कृपया उपुर्यक्त शासनादेशों का सम्यक् रूप से अध्ययन कर लें एवं उसमें उल्लिखित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित समस्त घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही हेतु एक महिला सेल का गठन किया जाय। यह सेल पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में स्थित होगा। इस सेल की प्रभारी एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी होंगी। उक्त सेल महिलाओं की समस्त शिकायतों, सूचनाओं आदि के पंजीकरण हेतु तथा पंजीकृत अभियोगों एवं कतिपय जनपदों में हाल में हुई संगीन घटनाओं में की जा रही विवेचनात्मक कार्यवाहियों का सतत् अनुश्रवण करते हुए प्रभावी एवं समयबद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

3– उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में महिला हेल्पलाइन प्रारम्भ किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। महिला हेल्प लाइन की मॉनीटरिंग स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाय। महिलाओं द्वारा इस हेल्पलाइन पर की गई किसी भी प्रकार के उत्पीड़न इत्यादि की शिकायत करने पर उसकी जांच महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से सुनिश्चित की जाय। इस प्रकार की जांचों की मॉनीटरिंग भी स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा ही की जाय।

4– प्रदेश में किसी नाबालिग बालक, बालिका अथवा महिला के अपहरण, गायब या गुमशुदा होने की सूचना मिलने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे इस घटना को तत्काल अपने उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए त्वरित रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5– प्रदेश में यदि कहीं बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण एवं संवेदनशील घटना हो जाती है, तो ऐसी घटना की खबर मिलते ही जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख घटनास्थल/मौके पर स्वयं जायेंगे और संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। दोषियों की तुरन्त गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय तथा पीड़ित को समुचित एवं प्रभावी सुरक्षा भी प्रदान की जाय।

6– बलात्कार किसी भी महिला के विरूद्व एक अमानवीय व्यवहार एवं जघन्य अपराध है, अतः ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित न्याय के लिये भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की प्रगति की समीक्षा स्वयं जिलाधिकारी द्वारा की जाय। सरकारी अधिवक्ता ऐसे मामलों की प्रभावी पैरवी स्वयं मौजूद रहकर सुनिश्चित करेंगे, ताकि ऐसे अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र सजा मिल सके।

7— बलात्कार के मामले में पीड़िता एवं उसके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाय। यदि आरोपी पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा पीड़िता के परिवार को धमकाने या परेशान करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, जिससे कि पीड़ित पक्ष सुरक्षित महसूस कर सके।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या—267(1)/छः—पु0—15—2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विमल किशोर खन्ना)
संयुक्त सचिव।

(104)

संख्या–627 / छः–पु0–15–2009–2म0उ0 / 09

प्रेषक

आनन्द कुमार
सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त जनपद प्रभारी, पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग–15 लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 2009

विषय – महिला उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार की मुख्य मन्त्री एक महिला हैं और एक महिला मुख्य मन्त्री के रहते हुए समाज की किसी भी महिला पर जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए और इस मामले में सर्वसमाज की किसी भी वर्ग की महिला के साथ यदि कोई जुल्म ज्यादती होती है, खासतौर से बलात्कार या आपराधिक तत्वों द्वारा हत्या या अन्य किसी और प्रकार की भी गम्भीर जुल्म ज्यादती होती है, तो सम्बन्धित जनपद के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक ऐसे मामलों को पूरी गम्भीरता से लेंगे तथा स्वयं मौके पर जाकर पीड़ित महिला को न्याय दिलायेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वह तत्काल शासन को व पुलिस महानिदेशक को पूरे घटनाक्रम की और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उसी दिन भेजेंगे।

यदि इस प्रकार की शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लिया गया और इस शासनादेश की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया गया तो इसके लिए सम्बन्धित जनपद के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। यदि आवश्यकता हुई तो शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा जायेगा ताकि ऐसे मामलों में पूरा न्याय और उचित कार्यवाही समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

10/7/09

(आनन्द कुमार)
सचिव, गृह।

संख्या –627(1)/छः–पु0–15–2009–2म0उ0/09, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से

15/7/09

(आनन्द कुमार)
सचिव, गृह।

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्याः 623/6-पु0-15-2011

प्रेषक,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0
2- समस्त जनपद प्रभारी, पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0

गृह (पुलिस) अनुभाग-15 लखनऊः दिनॉकः 29 जून, 2011

विषयः महिलाओं तथा बच्चियों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं तथा अवयस्क बच्चियों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए शासन अत्यन्त गंभीर है। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में भी जारी हुए हैं जिसमें ऐसे अपराधों को गंभीरता से लेने तथा अपराधों की संवेदनशीलता को देखते हुए यथावश्यकता मौके पर जाकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के निर्देश दिए गये हैं। इनके विरूद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं ऐसे अपराध कारित करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के दृष्टि से जनपद स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) प्रत्येक जनपद में समस्त जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 29 जून, 2011 को पूर्वान्ह 10.00 बजे जनपद के पुलिस प्रभारी (डी0आई0जी0/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक), समस्त पुलिस उपाधीक्षक, समस्त थाना प्रभारियों, उप जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों की बैठक आहूत कर उन्हें महिलाओं व बच्चियों के साथ संभावित विभिन्न प्रकार के अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाय।

(2) प्रदेश के समस्त जनपदों के थाना प्रभारियों द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2011 से 31 जुलाई, 2011 तक विशेष अभियान चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्रों में असामाजिक, अमानवीय तथा अधम एवं अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों की सूची तैयार की जाय एवं तदुपरान्त उन्हें सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा अलग-अलग थाने पर बुलाकर अच्छा एवं संस्कारिक व्यक्ति बनने हेतु प्रेरित किया जाय। उन्हें विशेष रूप से महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश/चेतावनी दी जाय। समझाने के बावजूद भी यदि उनके व्यवहार एवं आचरण में कोई सुधार नही आता है और इससे जनाक्रोश उत्पन्न होने एवं शान्ति भंग होने की आशंका हो तो मुचलका भरवाकर उन्हें पाबन्द किया जाय जिससे महिलाओं एवं बच्चियों के साथ वे गलत काम न करें।

(3) ऐसे अपराधी तत्वों पर कड़ी नजर रखने के अभिप्राय से, जिन इलाको में ऐसे लोग रहते हैं, वहां प्रतिदिन 24 घण्टे की थाना प्रभारी द्वारा स्वयं अथवा अन्य पुलिस कर्मियों से गश्त किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(4) महिलाओं के साथ अपराध करने वाले तथा अन्य पेशेवर अपराधियों, माफियाओं एवं बदमाशों की जानकारी करने के लिए प्रत्येक माह उस क्षेत्र के 05 गैर राजनैतिक व सम्मानित व्यक्तियों- एक अनुसूचित जाति के, एक अन्य पिछड़े वर्ग के, एक मुस्लिम समुदाय के (मुस्लिम समुदाय की आबादी न होने पर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि) एवं दो सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि-चिन्हित किए जायें। इन्हें अपनी सुविधा अनुसार थाना प्रभारी अपने कक्ष में सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर उनसे सम्पर्क स्थापित करें और उनसे असामाजिक तत्वों की सूची पर विचार-विमर्श करें। समय-समय पर ऐसे नागरिकों से इस आशय की जानकारी प्राप्त करें कि उन अपराधियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो रहा है या नहीं। इसके साथ-साथ क्षेत्र में अन्य आपराधिक तत्वों एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की जानकारी भी प्राप्त की जाय।

(5) इसी प्रकार उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं जनपदीय पुलिस अधिकारी तथा जिलाधिकारी भी प्रत्येक माह 05 गैर राजनैतिक व्यक्तियों की बैठक बुलाकार इस संबंध में आवश्यक जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करेंगे। थानावार कृत कार्यवाही की क्रास चेकिंग करेगें और अपराधियों के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे।

(6) महिलाओं के अधिक आवागमन वाले स्थानों, यथा स्कूलों, कालेजों, मालों, सिनेमाघरों, तथा विभिन्न कार्यालयों आदि पर समुचित संख्या में पुलिस बल जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी हों, की समुचित संख्या में तैनाती की जाय। जनपद एवं तहसील स्तर पर पुलिसकर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त पर भी गहन दृष्टि रखी जाय।

2- महिलाओं व बच्चियों के साथ घटित होने वाले किसी भी अपराध- बलात्कार/छेड़खानी /दहेज उत्पीड़न आदि-की घटना की समय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उससे सम्बन्धित असली अपराधियों को पकड़कर अधिकतम 10 दिन के अन्दर विधिक प्रकियाएं पूर्ण करते हुए सजा दिलवाने की कार्यवाही की जाय। यदि सही अपराधी हर सम्भव प्रयास करने के बावजूद 10 दिन के अन्दर नहीं पकड़ा जाता है तो आरोपी की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही करायी जाय तथा पीड़ित परिवार को नियमानुसार संभव सभी सहायता दी जाय।

3- यदि महिलाओं तथा अवयस्क बच्चियों के साथ होने वाली किसी घटना में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपराधियों से मिलकर घटना की लीपा-पोती करने या अन्य किसी को फंसाने का प्रयास करते हैं एवं अपराधियों के साथ दुरभि सन्धि कर केस को गलत दिशा देने का प्रयास करते हैं तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त निलम्बित करने की कार्यवाही की जाय।

4- ऐसे आपराधिक कृत्यों में स्वयं पुलिस कर्मी के संलिप्त होने की दशा में उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उसे वृहद दण्ड देने/नौकरी से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाय।

5- यदि आपराधिक घटना गम्भीर प्रकृति की है तो ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को, उनके कृत्य के लिए एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जेल भी भेजा जाय।

6- महिलाओं से सम्बन्धित घटनाओं में असली अपराधियों को बचाने के उददेश्य से मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित करने का यदि कोई प्रयास किसी चिकित्सक द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध भी इसी प्रकार की निलम्बन/वृहद दण्ड/जेल भेजने की दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

7- इस प्रकार के सभी कदम उठाने के बावजूद भी यदि महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी के विरूद्ध भी घटना कारित करने वाले अपराधियों के साथ ही कार्यवाही की जायेगी। यदि घटना की एफ0आई0आर0 लिखने में देरी की जाती है या आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाता है तो थाना प्रभारी तथा दोषी पुलिस कर्मी/कर्मियों को तुरन्त निलम्बित करके उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय।

8- जिस क्षेत्र में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएँ बढ़ेगी उस सर्किल के पुलिस उपाधीक्षक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जायेगी तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी नियमानुसार की जायेगी। किसी जनपद में महिलाओं व बच्चियों के साथ अधिक संख्या में आपराधिक घटनाएँ होने पर उस जनपद के जिलाधिकारी/डी0आई0जी0/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

9- प्रत्येक पुलिस उपाधीक्षक महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं एवं अन्य अपराधों की थानावार मासिक बैठक करके समीक्षा करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट जनपद में होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेंगे जिसमें जनपदीय अधिकारियों के साथ साथ उप जिलाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे इसके पश्चात पुलिस के जनपदीय अधिकारी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, जिसकी प्रतिमाह जनपदवार गहन समीक्षा की जायेगी।

10- जनपद में तैनात पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मीडिया से बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित करें तथा कोई आपराधिक घटना घटित होने पर मीडिया को अद्यतन स्थिति से तत्काल अवगत कराएं।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता /फैक्स/ई मेल
संख्याः- 97/6-पु0-15-2013

प्रेषक,

आर0एम0श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 लखनऊः दिनांक 6 मार्च फरवरी, 2013

विषयः-महिला उत्पीड़न करने वालों का चिन्हांकन तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1पी/6-पु0-3-2013, दिनांक 01.01.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस शासनादेश के साथ संलग्न महिला उत्पीड़न करने वालों का चिन्हांकन तथा कृत कार्यवाही का विवरण संबंधी प्रारूप संख्या-118 में जनपदों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.12.2012 तक महिला उत्पीड़न करने वालों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में दर्ज मुकदमें/अभियोजन को दृष्टिगत रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही की संख्या कम प्रतीत होती है। धारा-107/116, 109,110,133,145 एवं गुण्डा एक्ट में भेजी गयी पुलिस चालान की आख्याओं पर त्वरित गति से गुण-दोष के आधार पर निरोधात्मक कार्यवाही का निस्तारण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाना समीचीन होगा।

2- इसके साथ ही साथ महिला उत्पीड़न करने वाले शस्त्र लाइसेन्स धारकों के शस्त्र लाइसेन्स के निलम्बन एवं निरस्तीकरण पर भी विचार किया जाय। निरोधात्मक कार्यवाही में नियमानुसार नोटिस देकर बॉन्ड भराये जाने तथा निरोधात्मक कार्यवाही के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। जिनके विरूद्ध अभियोजन प्रचलित है, उनके विरूद्ध गुण्डा एक्ट एवं गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

3- लम्बित आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन द्वारा प्रभावशाली पैरवी की जाय ताकि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण कराने हेतु प्रतिमाह आयोजित होने वाली 'मानिटरिंग सेल' की बैठक में जनपद न्यायाधीश से विचार-विमर्श किया जाय।

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0एम0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

--2--

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त आयुक्त।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स/ई–मेल
संख्याः–265/6–पु0–15–2013

प्रेषक,

आर0एम0श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव
गृह, गोपन एवं सतर्कता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2013

विषयः–**नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाओं को रोका जाना।**

महोदय,

महिलाओं के बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। इधर हाल में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म एवं उसके बाद हत्या कर दिए जाने की घटनाएं समाज एवं शासन के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। महिलाओं एवं अवयस्क बच्चियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़िता को न्याय दिलाए जाने की प्रकिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से **'दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013'** लागू किया गया है जिसके माध्यम से भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्राविधानों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों व बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी व यौन दुराचार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिलाए जाते हुए भारत सरकार द्वारा पास्को अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) पारित किया गया है।

इन नृशंस अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सम्भावित असुरक्षित नाबालिग लड़कियों के अभिभावकों को उनके आसपास मंडराते खतरों से सावधान किया जाए तथा पुलिस प्रशासन के प्रयासों में उनकी सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जाए।

इस संबंध में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराएंः–

(1) जनपद के नगरीय क्षेत्रों विशेषतया slum areas अथवा ऐसी पुरानी एवं अविकसित नगरीय बस्तियों, जहां नाबालिग बच्चियां आसानी से ऐसे अपराधों की शिकार हो सकती हैं, में कम्यूनिटी पुलिसिंग के माध्यम से थानाध्यक्ष तथा सम्बन्धित पुलिस चौकी के प्रभारी के माध्यम से वहां के निवासियों के बीच जागरूकता–अभियान चलाया जाए। इस हेतु थाना/पुलिस चौकी स्तर पर क्षेत्र के सक्रिय नागरिकों की समितियां गठित की जाए और उसकी नियमित रूप से बैठकें की जाएं।

(2) इस जागरूकता अभियान में महिला अध्यापिकाओं(शिक्षा मित्रों सहित), आशा बहुओं तथा आंगनबड़ी कार्यकताओं की सहभागिता अत्यन्त उपयोगी होगी। इन महिला कार्मिकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से थाना/पुलिस चौकी स्तर पर गठित की गयी समितियों में अनिवार्य रूप से नामित करा दिया जाय तथा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा हेतु अभिभावकों से सम्पर्क बनाये रखेंगी तथा उन्हें सावधान रहने की सलाह देती रहेंगी।

(3) समितियों के सदस्यों को प्रेरित किया जाए कि वे मोहल्लों के असामाजिक तत्वों, शोहदों और आवारा घूमने वाले मनचलों पर सतर्क निगाह रखें और जिनकी भी गतिविधियां सन्दिग्ध लगें, उनके सम्बन्ध में तत्काल पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी को सूचित करें।

(4) नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों की अविकसित पुरानी बस्तियों के समान ही ऐसी कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में भी करायी जाए। इस हेतु थाना एवं चौकी स्तर पर क्षेत्र के निवासियों की सहभागिता से समिति बनायी जाए। ऐसी समितियों की बैठक में ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं ग्राम चौकीदार को अवश्य आमंत्रित किया जाय। ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं ग्राम चौकीदार का दायित्व होगा कि वे ग्रामीणों को ऐसे अपराधों पर रोक लगाने एवं शोहदों पर सतर्क निगाह रखने हेतु प्रेरित करेंगे। यह देखा गया है कि शहरों में काम करने वाले एवं पढ़ने वाले लड़के जब छुट्टियों में गांव जाते हैं तो ऐसे अपराधों में उनके संलिप्त होने की सम्भावना बनी रहती है।

(5) जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य ऐसे अपराधों की समीक्षा कर लें। ऐसे अपराधों को घटित होने की दशा में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि तत्काल मौके पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(6) उ0प्र0 पुलिस तथा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त **संकटकालीन मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना** की जाय जो थाने पर बलात्कार आदि महिला उत्पीड़न की सूचना प्राप्त होने पर पीड़ित महिला की परामर्श तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए तुरन्त पहुँचे। प्रत्येक जिले में इस उद्देश्य के लिए किसी एक अथवा अधिक स्वयंसेवी संस्था को चिन्हित किया जा सकता है। इन केन्द्रों/संस्थाओं का पता, टेलीफोन न0 तथा नोडल व्यक्ति का नाम जिले में तथा प्रत्येक थाने पर रखा जाय। थाने पर बलात्कार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थानाध्यक्ष/विवेचक जिले की Crisis Intervention सेन्टर को सूचित करेगा।

(7) भारतीय संविधान की धारा--38(1) में निहित निर्देशों के अनुपालन में बलात्कार पीड़ित महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक तथा मानसिक क्षति को ध्यान में रखकर उन्हें प्रतिपूर्ति दिया जाय। मा0न्यायालय द्वारा पीड़ित को क्षतिपूर्ति अभियुक्त के दोष सिद्वि पर दिया जायेगा, किन्तु बोर्ड द्वारा दोषसिद्व होने तथा दोषमुक्त होने की स्थिति में दिया जायेगा। क्षतिपूर्ति बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति का आकलन करते समय पीड़िता के दर्द, पीड़ा, सदमा, गर्भधारण के कारण आजीविका की हानि, बच्चे के जन्म पर होने वाले खर्च आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(8) पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समय–समय पर सेमिनार/कार्यशाला आयोजित कर महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्हें संवेदनशील/प्रशिक्षित करेंगे। इस सम्बन्ध में न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान की सलाह से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाय तथा इस विषय के विशेषज्ञों जैसे--न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अभियोजन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अधिवक्ताओं को अतिथि प्रवक्ता के रूप में आमन्त्रित किया जाय।

(9) **महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पुलिस प्रकिया निम्नानुसार अपनायी जायेगीः–**

1. प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी यथासंभव हर समय उपलब्ध रहेगी।
2. जैसे ही उपरोक्त किसी अपराध की सूचना मिलती है तो थाने के ड्यिूटी आफीसर थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को बुलवायेंगे। इस महिला अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला व उसके परिवार को सांत्वना व ढाढ़स देकर उन्हें आश्वस्त करें।
3. ड्यूटी आर्फीसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी [Para-legal volunteer] या अधिवक्ता को बुलायेंगे, अगर पीड़ित महिला व उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया है। इस हेतु थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिये, जो महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की मदद करना चाहते हैं।
4. इन अधिवक्ता की भूमिका होगी कि वह पीड़िता को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराये, मानसिक रूप से चिकित्सीय परीक्षण के लिए तैयार करें और थाने में बयान देने व वैधानिक प्रकिया के बारे में अवगत करायें। वह पीड़िता के साथ समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने तक रहेगें।

   यदि अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होते हैं या अधिवक्ता के आने में विलम्ब है तो महिला पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये बिन्दु के अनुसार कार्यवाही करें और लगातार पीड़िता को ढाढस दिलाती रहे एवं निश्चिंत करती रहें।
5. अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण दं0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा।
6. यदि उपरोक्त अपराधों से पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जाय।
7. उपरोक्त अभिलेखीकरण की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
8. उपरोक्त बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जायेगा।

9. प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़ित महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेंगे।

10. उपरोक्त सभी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना की व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे।

11. पीड़ित महिला का 161 दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाय। इस बयान को लेने के लिए पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160 दं0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाने या अन्यत्र स्थान पर नहीं बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़ित महिला के घर पर ही लिया जाये।

12. यह बयान पीड़ित महिला से घर में एकान्त में लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकते हैं।

13. यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम की बालिका है तो विवेचक तत्काल बाल कल्याण समिति को अवगत करायेंगे।

14. किसी भी दशा में अभियुक्त को, कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त, पीड़िता के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

15. उन अपराधों को छोड़कर जिनमें सूचना रात्रि में प्राप्त होती है, पीड़िता को किसी भी दशा में रात्रि के समय थाने में नहीं रखा जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को उसके घर या महिला संरक्षण गृह में ही रूकवाया जायेगा।

16. विवेचक का दायित्व होगा कि वह तत्काल किसी एन0जी0ओ0/परामर्शदाता [Counselor] से सम्पर्क कर पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता पहुँचायेगा।

17. विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें ताकि अभियुक्त को धारा 167 दं0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।

18. सभी पुलिस कर्मियों का समय-समय पर महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रशिक्षण कराया जाता रहे।

19. थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को यह अवश्य सलाह दें कि वह अपना पता बदलने पर थाने को सूचित करें।

20. यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

21. महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगण की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही करायें।
22. महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुर्व्यवहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन–सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाय। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।
23. यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम–2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।
24. यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो भादवि में हुए संशोधन The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाये।
25. पुलिस का यह दायित्व होगा कि वह पीड़िता से प्रश्न पूछने के पूर्व उसके विधिक अधिकारों के बारे में सूचित करे और इस बात का उल्लेख वह जी0डी0 (रोजनामचा आम) तथा सी0डी0 (रोजनामचा खास) में करे।
26. महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में मदद करने को तत्पर अधिवक्ताओं की सूची प्रत्येक थाने पर रखी जाय।
27. पीड़िता का बयान अक्षरशः अंकित किया जाय।
28. अवयस्क बच्ची का बयान अंकित करते समय वर्दी न पहना जाय।
29. पीड़िता अवयस्क बच्ची का बयान अंकित करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। घटना का बिल्कुल तथ्यात्मक वर्णन किया जाय।
30. यदि विवेचक आवश्यक समझे तो किसी मनोचिकित्सक की मदद ले सकते हैं।
31. विवेचक यथाशीघ्र वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं जिनका परीक्षण आवश्यक है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला [FSL] भेजकर परीक्षण करायेगें। विधि विज्ञान प्रयोगशाला [FSL] ऐसे प्रकरणों में परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करेगा।
32. विवेचक पीड़िता बच्ची की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा।
33. यथासंभव विवेचक तत्काल फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर उनकी सहायता व मार्गदर्शन में घटनास्थल से साक्ष्य संकलित करेगा।
34. शिकायतकर्ता/पीड़िता को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाय। यदि शिकायतकर्ता इस दौरान कोई लिखित जानकारी देता है कि विवेचक उसकी प्रविष्टि केस डायरी [C.D.] में अवश्य करेगा तथा उस आधार पर कृत कार्यवाही का उल्लेख भी करेगा।
35. यथासंभव पीड़िता बच्ची के बयान की भी वीडियोग्राफी कराई जाय।

36. पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता जिस भाषा को समझती हो उसी भाषा में उससे प्रश्न पूछे जायं।

37. यह सुनिश्चित किया जाय कि पीड़िता को घटनास्थल निरीक्षण के लिए कम से कम बार बुलाया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि प्रारम्भ में ही विवेचक और अन्य टीमें साथ–साथ घटनास्थल पर जाकर समस्त जानकारी कर लें।

(10) **चिकित्सकीय परीक्षण–(Medical Examination)**

1. महिला पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण महिला डाक्टर द्वारा ही किया जाय।
2. चिकित्सकीय परीक्षण के पूर्व यथासंभव मनोचिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराई जायं।
3. चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट सावधानी से तत्परतापूर्वक तैयार की जाय और डाक्टरों द्वारा हस्ताक्षरित करके उसकी एक प्रति अभिभावक/संरक्षक को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।
4. परीक्षण रिपोर्ट में देरी की संभावना हो तो उसका उल्लेख किया जाय।
5. चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभिभावक/संरक्षक और पीड़िता का जिस व्यक्ति पर भरोसा हो उसे उपस्थित रहने दिया जाय।
6. यदि आवश्यक हो तो आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाय।
7. यौन प्रसारित बीमारियों (STD) की रोकथाम के लिए तत्काल रोग निरोधक इलाज दिया जायेगा।
8. यदि कोई पीड़िता प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम में लाई जाती है तो उसका तत्काल इलाज किया जायेगा और नजदीकी थाना को सूचित किया जायेगा।

(11) **मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अंकित करना–**

1. पीड़िता बच्ची का बयान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा तत्परतापूर्वक अंकित किया जायेगा। यदि विलम्ब होता है तो कारण अंकित किया जायेगा।
2. यदि पीड़िता अस्पताल में है तो उसका बयान अस्पताल में ही अंकित किया जायेगा।
3. बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए न्यायालय परिसर में ही एक अलग कमरा उपलब्ध होना चाहिए, जहॉ बच्चों का बयान दर्ज किया जा सके। बच्चों को अपने माता–पिता/संरक्षक से अलग नहीं किया जायेगा, जब तक कि न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक न हो अथवा माता–पिता की बदनीयती प्रकाश में न आई हो।
4. जहॉ तक संभव हो पीड़िता के बयान की भी वीडियो रिकार्डिंग कराई जाय।
5. कोई भी न्यायालय किसी भी बच्चे को वयस्कों की संस्था में निरूद्व नहीं करेगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आर0एम0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–265(1)/छः–पु0–15–2013 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– अपर महानिदेशक, सीआईडी/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।